न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2140–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–03–2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक, वृत्त बहोडापुर तहसील व जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 30/अ–12/2015–16.

....

श्रीमती सीमा अरोरा पत्नी श्री राजकुमार अरोरा,
निवासी 18 विनय नगर सेक्टर 2 लश्कर ग्वालियर

.... आवेदिका

विरूद्ध

1–रोहित जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन
निवासी दाल बाजार लश्कर ग्वालियर म0प्र0
2–राजस्व निरीक्षक सर्किल बहोड़ापुर,
जिला ग्वालियर म0प्र0

.... अनावेदकगण

....

श्री एल.एस.धाकड़, अभिभाषक–आवेदिका

श्री एन0डी0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1.

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 26/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त बहोडापुर तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–03–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त बहोडापुर तहसील व जिला ग्वालियर के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम शंकरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 574 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 30/अ–12/2015–16 दर्ज कर दिनांक 27–03–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व

निरीक्षक के इसी आदेश से दुखित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन नियमों के विपरीत जाकर कार्यवाही की गई है, इस कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि गलत सीमांकन के आधार पर आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य का प्लाट सर्वे कमांक 574 में स्थित था उसे अन्य की संपत्ति बता दिया गया है । इस प्रकार आवेदक की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की प्रति आवेदिका को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सीमांकन की प्रति आवेदिका को उपलब्ध कराई जाकर सुनवाई का अवसर न्यायिक दृष्टि से आवश्यक था । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका को विधिवत् सूचना दी गई है और यदि आवेदिका को सीमांकन की सूचना नहीं दी जाती तो उन्हें सीमांकन के आदेश की जानकारी कैसे होती । सीमांकन कार्यवाही में आवेदिका के पति राजकुमार अरोरा उपस्थित भी हुये हैं, परन्तु उनके द्वारा पंचनामें पर हस्ताक्षर करने के इंकार किया गया । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन किया गया है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा यद्यपि आवेदिका को दिनांक 27–03–2016 को सीमांकन किये जाने के संबंध में सूचना पत्र जारी किया गया है, परन्तु उसकी तामीली

आवेदिका पर नहीं कराई गई है और न ही आवेदिका की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जबकि आवेदिका पड़ोसी कृषक होकर सीमांकन में हितबद्ध पक्षकार है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन एवं पारित आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रोफार्मा में रिक्त स्थान भरकर पंचनामा तैयार किया गया है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । पंचनामे से यह भी स्पष्ट नहीं है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया है । इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त बहोडापुर तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27—03—2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर